



2026:AHC: 51453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3436/2026

फूलमती मसीह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमरजीत सिंह, बासु देव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर जीत सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति 11.01.1988 को ए.एन.एम./बी.एच.डब्ल्यू. के रूप में हुई थी और उन्हें मुख्य पर्यवेक्षक (महिला) के रूप में पदोन्नत भी किया गया था तथा वह 29.02.2024 को सेवानिवृत्त हो गईं, परंतु इस संबंध में रिट याचिकाकर्ता को जी.पी.एफ. का भुगतान नहीं किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया द्वितीय प्रतिवादी, महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. सरकार, लखनऊ द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 27.03.2026 तक द्वितीय प्रतिवादी, महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवार कल्याण, उ.प्र. सरकार, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, द्वितीय प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे। ब्याज के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

दिनांक: 13 मार्च, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।